25/1/24

प्रार्थना पत्र वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी को दिनांक 15.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि प्रार्थीगण कमाने खाने बहार चले गये थे एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता दीगर न्यायालय में दीगर प्रकरण में व्यस्त होने के कारण तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। उक्त अनुपस्थिति प्रार्थीगण ने जानबूझकर नही कि अपीतु बहार चले जाने एवं उक्त कारण से हुई जो काबिले क्षमा है। न्याय निर्णय हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायहित आवश्यक एवं न्यायोचित है। दिनांक 07.11.2023 से दिनांक 12.01.2024 तक का समय कण्डोन फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त समय कण्डोन फरमाये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन बाबत कथन किया कि अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी दिनांक 07.11.2023 नियत थी उक्त पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तलबी में नियत थी। परन्तु प्रार्थीगण कमाने खाने बहार चले जाने के कारण तारीख माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सके प्रार्थीगण के अधिवक्ता दूदू न्यायालय में दीगर प्रकरण में व्यस्त होने के कारण तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। उक्त अनुपस्थिति उपरोक्त कारण से हुई है जो काबिले क्षमा है। उक्त अनुपस्थिति आदतन न होकर ईशतक कारण से हुई है जो काबिले क्षमा योग्य है। उक्त पत्रावली में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जो विलम्ब हुआ वह अपीलांट द्वारा जानबुझकर नहीं हुआ है अपितु जानकारी के अभाव में हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः सुनवाई के आदेश प्रदान करावें।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण संख्या 2023/12 बउनवान काली देवी बनाम मनभरी में दिनांक 07.11.2023 को प्रार्थी एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण को अदम हाजरी – अदम पैरवी में खारिज किया गया था। दिनांक 12.01.2024 को उनके अभिभाषक छोटूलाल गुर्जर द्वारा रेस्टोरेशन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के अनुसार वे कमाने खाने हेतु बाहर चले गये थे तथा उनके अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो सके। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण खारिजी दिनांक 07.11.2023 के दिन पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 02 की तलबी में नियत थी, परन्तु अपीलांट के बाहर कमाने खाने जाने के कारण एवं उनके अभिभाषक के अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। अपील आरंभिक स्टेज पर है। पक्षकारों की तलबी अभी होनी बाकी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को समुचित मानते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन बाबत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

25.1.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner